

भारत सरकार/Government of India परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy सचिवालय समन्वय अन्भाग/Secretariat Coordination Section

अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग/C.S.M Marg, मुंबई/Mumbai - 400 001. (2022- 22862661) e-mail: sectcord@dae.gov.in

No. 19/5/2018-SCS/13783.

नवम्बर November 18, 2021

कार्यालय जापन OFFICE MEMORANDUM

विषय

: केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 - इसकी पहली अनुसूची

का भाग-ए का खंड--(II) -01.01.2006 को या इसके बाद सीधी भर्ती के लिए

एंटी पे और सीधी भर्ती को छोड़कर कर्मचारियों के वेतन के संबंध में।

Subject:

Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 - Section(II) of Part "A" of the First Schedule thereto – entry pay for direct recruits appointed on or after 01.01.2006 and pay fixation in the case of

person other than such direct recruits - Regarding.

एक कर्मचारी संघ ने अपनी संघटक इकाई के माध्यम से ऐसे कर्मचारियों जिनकों 01.01.2006 को या इसके बाद ऐसे पद पर पदोन्नित दी गई, जहाँ संबंधित भर्ती नियमों में सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में पदोन्नित पर नियुक्ति की तारीख से सीधे भर्ती पर यथा लागू इंट्री पे प्रदान करते हुए वित्त मंत्रालय के दिनांक 28.09.2018 के कार्यालय ज्ञापन को लागू करने का अनुरोध किया गया था। इसका आधार यह बताया गया कि भर्ती नियमों में सीधी भर्ती का प्रावधान न होने के बावजूद इसे महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग के एएओ के ग्रेड में इसे लागू किया जा रहा है।

One of the Staff Association through its Constituent Unit had requested to implement the Ministry of Finance OM dated 28.09.2018, by extending the benefit of entry pay as applicable to the direct recruits from the date of their appointment on promotion, in respect of employees who were promoted on or after 01.01.2006 to the post, where there is no provision of the element of direct recruitment in the relevant recruitment rules, based on the contention that the same is being implemented in the grade of AAO of Controller General of Accounts, Dept. of Expenditure, though there is no element of direct recruitment in the relevant recruitment rules.

2. इस विषय को व्यय विभाग के पास स्पष्टीकरण के लिए भेजा गया। व्यय विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिनांक 28.09.2018 का कार्यालय ज्ञापन केवल उन पदों पर लागू हैं जहाँ संबंधित भर्ती नियमों में सीधी भर्ती का प्रावधान है। व्यय विभाग ने इस विभाग को सलाह दी है कि वह व्यय विभाग के दिनांक 28.09.2018 के कार्यालय ज्ञापन में दर्शाए गए दिशानिदेशों के अनुसार ही मामलों को प्रोसेस करें।

The matter was referred to Department of Expenditure (DoE) for clarification. DoE has now clarified that, "OM dated 28.09.2018 is applicable in respect of those posts only, where there is an element of Direct Recruitment in relevant RRs". DoE further advised this Department to process the cases strictly as per the guidelines mentioned in DoE's OM dated 28.09.2018.

3. उपर्युक्त स्थिति को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।
The above position may please be brought to the notice of all concerned.

(एस.एस. देवकर S.S.Deokar)

अवर सचिव Under Secretary 2022-22022225

सभी संघटक इकाईयों के प्रशासनिक प्रधान All Administrative Heads of Constituent Units.

प्रतिलिपि

- 01. सभी संघटक इकाईयों के प्रधान सूचनार्थ All Heads of Constituent Units for information.
- 02. दर्पण के माध्यम से पऊवि के सभी अधिकारीगण और अनुभाग All Officers and Sections in DAE- through Darpan.
- 03. औद्योगिक संपर्क अधिकारी, एनएफसी, हैदराबाद दिनांक 07.12.2020 की टिप्पणी संख्या NFC/IRO/11/04/108 के संदर्भ में.
 Industrial Relations Officer, NFC, Hyderabad.- w.r.t. Note No. NFC/IRO/11/04/108 dated 07.12.2020.
- 04. सचिव, स्टाफ पक्ष Secretary, Staff side.
- 05. गार्ड फाइल संख्या Guard File No. 107.